न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

पन्नेसिंह बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 587 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
19/12/25	

प्रार्थी पन्ने सिंह पुत्र हीरा राम जाति जाट निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 33, 32 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्ना पुत्री हीरा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि पन्ने सिंह पुत्र हीरा राम है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 14 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावली पत्नी पन्नाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी की पत्नी के नाम की सही प्रविष्टि चावली पुत्र पन्ने सिंह है। ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 51 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावलीदेवी पत्नी पन्नाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी की पत्नी के नाम की सही प्रविष्टि चावली पत्नी पन्ने सिंह है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्ने सिंह पुत्र हीरा राम अंकित है, जो कि सही है तथा में प्रार्थी की पत्नी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावली पत्नी पन्ने सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्ना पत्नी हीरा के स्थान पर पन्ने सिंह पत्नी हीरा राम दुरूस्त किया जावें तथा प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावलीदेवी पत्नी पन्नाराम के स्थान पर चावली पत्नी पन्ने सिंह दुरूस्त किया जावें।

प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/794 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।

अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 33, 32 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि पन्ना पुत्री हीरा के स्थान पर पन्ने सिंह पुत्र हीरा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 14 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावली पत्नी पन्नाराम के स्थान पर चावली पत्नी पन्ने सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 51 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की पत्नी के नाम की प्रविष्टि चावलीदेवी पत्नी पन्नाराम के स्थान पर चावली पत्नी पन्ने सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रवि[illegible] किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदा[illegible] हो [illegible] सके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया [illegible] होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/794 [illegible] 14.05.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:47:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner